[2009] 5 एससीआर 368
पिनाकी चटर्जी एवं अन्य. बनाम
भारत संघ एवं अन्य।
(सिविल अपील संख्या 2053/2009)
31 मार्च, 2009
[एसबी सिन्हा और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे.जे.]

सेवा कानून - नियमितीकरण - अस्थायी परियोजना के लिए बाह्य-संवर्ग पद पर आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए - निर्णय: नियुक्ति नियमित नहीं थी - यह बाह्य-संवर्ग पद पर परियोजना कार्य के लिए थी और यह अनुच्छेद 14 और 16 तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं थी - कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार नहीं थे - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14, 16 और अनुच्छेद 309 के प्रावधान - रेलवे बोर्ड परिपत्र दिनांक 11.5.1973।

अपीलकर्ताओं को रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में ग्रुप 'सी' पदों पर सीधे नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या उनकी सेवाओं को ग्रुप 'सी' पदों पर नियमित किया जा सकता था।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1.1. अपीलकर्ताओं को निर्विवाद रूप से परियोजना कार्य के लिए दैनिक दर पर आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था । रेलवे के विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई उक्त परियोजना समयबद्ध थी। इसका अपना कोई कैडर नहीं था। इसलिए उक्त परियोजना के तहत किसी भी आकस्मिक मजदूर की नियुक्ति किसी भी नियमित भर्ती के बराबर नहीं थी। इसके अलावा अपीलकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियमों के अनुपालन पर नियुक्त नहीं किया गया है। हो सकता है कि रेलवे प्रशासन ने गंभीर अवैधताएं की हों।

से , यह अपने आप में अपीलकर्ताओं को समूह (सी पद) में नियमित होने का कोई अधिकार नहीं देगा। [पैरा 8] [372-जीएच; 373-एबी]

1.2. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने नियुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव पेश नहीं किए हैं। यदि उन्हें केवल परियोजना कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और वह भी एक्स-कैडर पदों पर, तो इसका मतलब यह कभी नहीं होगा कि उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ताओं को अस्थायी दर्जा दिया गया था या दिया जा सकता था। [पैरा 9] [376-सी]

1.3. बोर्ड परिपत्र दिनांक 11.5.1973, जिस पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया था, काफी पहले जारी किया गया था, तथापि, भर्ती नियमों और/या संवैधानिक प्रावधान के अनिवार्य प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए नियुक्तियां करने के लिए राज्य की शक्ति की सीमा को ध्यान में नहीं रखा गया था। [पैरा 8 और 9] (373-आईएफ; 374-जीजे

सचिव, राज्य कर्नाटक बनाम उमादेवल (3) (2006) 4 एससीसी 1, का अनुसरण किया गया।

ए. उमरानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और अन्य (2004) 7 एससीसी 112; आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य । (2008) 10 एससीसी 1 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोड लाई (1996) 7 एससीसी 481 पर भरोसा किया गया।

केस लॉ संदर्भ:

(2004) 7 एससीसी 112	पर भरोसा।	पैरा 9
(2006) 4 एससीसी 1	पर भरोसा।	पैरा 9
(2008) 10 एससीसी 1	पर भरोसा।	पैरा 10
(1996) 7 एससीसी 481	पर भरोसा।	पैरा 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं.

2009 का 2053.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के खण्डपीठ के WP (C) संख्या 3377/2001 के दिनांक 1.04.2003 के निर्णय एवं आदेश से।

एसबी सान्याल और रंजन अपीलकर्ता की ओर से न्यायमूर्ति एस.एम.मुखर्जी ने पैरवी की ।

के. अमरेश्वरी , श्रीकांत एन. टेरडाल (मौजूद नहीं), अंजनी अय्यागारी , बी. कृष्णा प्रसाद, ललित कोहली और मनोज प्रतिवादियों की ओर से स्वरूप एंड कंपनी।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में अपीलकर्ताओं का रेलवे की श्रेणी 'सी' सेवाओं में नियमित होने का अधिकार, यदि कोई हो, शामिल है, जो झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच, सर्किट रांची द्वारा ओए संख्या 604/1997 और ओए संख्या 398/1998 में पारित आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलकर्ताओं को रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के विद्युत विभाग में सीरियल नंबर 5 को छोड़कर ग्रुप 'सी' पदों पर सीधे नियुक्त किया गया था। चूंकि लंबे समय तक काम करने के बावजूद उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना, सर्किट बेंच, रांची के समक्ष दो मूल आवेदन दायर किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादियों को स्वीकृत पदों के विरुद्ध ग्रेड 'सी' पदों पर सेवाओं में नियमित आमेलन को अंतिम रूप देने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई, जिन्हें OA संख्या 604/1997 और OA संख्या 398/1998 के रूप में चिह्नित किया गया था। दिनांक 5.7.2001 के निर्णय और आदेश के कारण, उक्त मूल आवेदनों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया:

> "परिणामस्वरूप, आवेदकों का समूह 'सी' पद पर नियमित होने का दावा स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि हाथ में मौजूद ओए में कहा गया है, इसके बजाय उन्हें नियमित किया जाना आवश्यक था

'सी' पद के वेतन संरक्षण प्रदान करके ग्रुप-'डी' पद में फीडर कैडर में ।

4. इससे व्यथित अपीलकर्ताओं ने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका को विवादित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में ग्रेड-सी में आकस्मिक रूप से नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्होंने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया, लेकिन तथ्य यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा इस तथ्य का पता लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं का चयन नियमित चयन नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब उन्हें भर्ती किया गया था, तब उन्होंने ट्रेड टेस्ट दिया था, हालांकि ग्रेड-सी में आकस्मिक रूप से। लेकिन इससे उनका चयन नियमित चयन नहीं हो जाता। हमारे विचार में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपात कि ऐसे पदोन्नति पदों में नियमितीकरण नहीं होना चाहिए और नियमितीकरण केवल निम्न ग्रेड में ही हो सकता है, इस मामले पर स्पष्ट रूप से लागू होता है। हम संतुष्ट हैं कि न्यायाधिकरण सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को केवल ग्रुप-डी पदों पर नियमित किया जा सकता है, हालांकि उनके वेतन की रक्षा की जा सकती है और ग्रेड-सी पदों पर नहीं। न्यायाधिकरण के आदेश को पढ़ने पर , हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इसमें रिकॉर्ड के आधार पर कोई त्रुटि है जो हमारे हस्तक्षेप को उचित ठहराती है। न ही हम इस तर्क को स्वीकार कर सकते हैं कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का वेतन सुरक्षित है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें निचले पद पर नियमित करने की मांग की गई है। इस स्थिति में, हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।"

5. अपील के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सान्याल ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की सेवाओं को समूह 'सी' के पदों पर नियमित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए था क्योंकि उन्हें सीधे वहां नियुक्त किया गया था। यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने यह राय देने में गंभीर त्रुटि की कि केंद्र सरकार में समूह 'सी' के पद

थी , न कि सीधी भर्ती के माध्यम से। विद्वान वकील यह भी तर्क देंगे कि दिनांक 25.8.1997 के पत्र से, जो अपीलकर्ताओं द्वारा महाप्रबंधक, केंद्रीय संगठन , रेलवे विद्युतीकरण, इलाहाबाद को दिए गए एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जारी किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से एक को छोड़कर, टीसीएम इलेक्ट्रीशियन फिटर, डब्ल्यू/ड्राइवर ग्रेड 'सी पदों पर सीधे नियुक्त किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें अपीलकर्ताओं के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। उन्होंने ट्रेड टेस्ट भी पास कर लिया था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि पटना उच्च न्यायालय ने इसी तरह की स्थिति में राहत प्रदान की थी, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने इसे देने से इनकार करके गंभीर गलती की।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्रीमती के. अमरेश्वरी ने विवादित निर्णय का समर्थन किया ।

7. निस्संदेह, रेलवे सेवाओं में रिक्त पदों को भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना आवश्यक है। प्रतिवादियों ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है;

> "इस पैरा के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्थायी मार्ग मिस्त्री के पद के लिए 50% प्रत्यक्ष भर्ती कोटा है, 25% रिक्तियों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से गैंगमैन / कीमैन और मेटों में से भरने के लिए निर्धारित किया गया है, जिनके पास विज्ञान और गणित के साथ 10 + 2 की योग्यता है और न्यूनतम 3 साल की नियमित सेवा है। किसी भी कमी को तीन साल की नियमित सेवा के साथ मैट्रिकुलेशन / एचएसएलसी की योग्यता रखने वाले गैंगमैन / कीमैन / मेटों में से पूरा किया जाना चाहिए । इसके अलावा, यदि कोई कमी है, तो उसे सीधी भर्ती में जोड़ा जाना चाहिए। "

8. अपीलकर्ताओं को निर्विवाद रूप से परियोजना कार्य के लिए दैनिक वेतन भोगी अस्थायी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था।

शुरू की गई परियोजना समयबद्ध थी। इसका अपना कोई कैडर नहीं था। इसलिए उक्त परियोजना के तहत किसी भी आकस्मिक श्रमिक की नियुक्ति किसी भी नियमित भर्ती के बराबर नहीं थी। हो सकता है कि रेलवे प्रशासन ने उक्त पदों पर सीधे भर्ती करने में गंभीर अवैधताएं की हों , लेकिन इससे अपीलकर्ताओं को ग्रुप 'सी' पद पर नियमित होने का कोई अधिकार नहीं मिलता।

तथापि, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश देना चाहिए था।

इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि रेलवे विद्युतीकरण एक अस्थायी परियोजना थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं द्वारा धारित पद, निर्विवाद रूप से, विशुद्ध रूप से आकस्मिक आधार पर थे और किसी कैडर पद के विरुद्ध नहीं थे।

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए भर्ती नियमों के अनुपालन के आधार पर नहीं की गई है।

हमारा ध्यान बोर्ड के दिनांक 11.5.1973 के परिपत्र की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था :

> "(2) जब आकस्मिक श्रमिक कुशल श्रेणियों में लगे होते हैं, तो उनकी आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक वेतनमान (आकस्मिक श्रमिकों के वेतन को विनियमित करने वाले आदेशों के अनुसार) कुशल कारीगरों के लिए लागू होगा। अस्थायी स्थिति प्राप्त करने पर उन्हें उस वेतनमान में भुगतान किया जाएगा। इसी तरह परियोजना आकस्मिक श्रम के लिए कुशल श्रेणियों में 180 दिनों की निरंतर सेवा के साथ, समेकित वेतन कारीगरों के लिए लागू वेतनमान के न्यूनतम पर होगा और इस आधार पर डीए भुगतान स्वीकार्य होगा, हालांकि, निर्धारित व्यापार परीक्षण पास करने की तारीख से यदि यह अस्थायी स्थिति प्राप्त करने की तारीख या

पूरे होने पर , जो भी तारीख बाद में हो, से काम पूरा हो जाएगा। कुशल श्रेणी में किसी भी आकस्मिक श्रमिक को डिवीजनल इंजीनियर से कम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना काम पर नहीं रखा जा सकता है।

(बोर्ड का संख्या ई (एनजी)एलआई/84/सीएल 58 दिनांक 20.12.85)

नोट :- ऊपर उल्लिखित दिनांक 20.12.1985 के पत्रों के अनुसार या सक्षम न्यायालय के अंतिम आदेशों के अनुसार तय किए गए पिछले मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा। हालाँकि, जहाँ कोई व्यक्ति 20.12.1985 (उक्त पत्र जारी होने की तिथि) को कुशल श्रेणी में एक आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम कर रहा था, उसके मामले को उक्त पत्र (दिनांक 20.12.1985) के प्रावधानों के अनुसार भावी रूप से विनियमित किया जाएगा।

(3). कुछ विभागों के कार्यभारित प्रतिष्ठानों में लगे हुए ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जो नियमित विभागीय उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण अर्द्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणियों में पदोन्नत हो जाते हैं और लम्बी अवधि तक दिहाड़ी कर्मचारी के रूप में काम करते रहते हैं, उन्हें सीधे ही कुशल ग्रेडों में नियमित रिक्तियों में समाहित किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्होंने अकुशल और अर्द्ध-कुशल श्रेणियों से विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के 25% की सीमा तक अपेक्षित ट्रेड टेस्ट पास कर लिया हो। ये आदेश दिहाड़ी मजदूरों पर भी लागू होते हैं, जब उन्हें ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के बाद सीधे ही कार्यभारित प्रतिष्ठानों में कुशल श्रेणियों में भर्ती किया जाता है।"

9. तथापि, रेलवे बोर्ड का उक्त परिपत्र पत्र, जो काफी समय पहले जारी किया गया था, में भर्ती नियमों और/या संवैधानिक प्रावधानों के अनिवार्य प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए नियुक्तियां करने के लिए राज्य की शक्ति की सीमा को ध्यान में नहीं रखा गया।

मामले के इस पहलू पर ए. उमरानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं अन्य [(2004) 7 यू एससीसी 112] में विचार किया गया है, जिसमें कहा गया है:

अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्ति के प्रयोग में कोई नियमितीकरण स्वीकार्य नहीं है यदि नियुक्तियां वैधानिक नियमों के उल्लंघन में की गई हैं तो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।"

एक बार फिर इस न्यायालय की संविधान पीठ में सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3) [(2006) 4 एससीसी 1], निम्नलिखित शब्दों में कानून निर्धारित किया गया :

"43. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता के नियम का पालन करना हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूंकि कानून का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए न्यायालय निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बरकरार रखते हुए आदेश पारित करने से अक्षम होगा। या अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता की अनदेखी करने का आदेश देने में अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ें संविधान के अनुसार, इसलिए, सार्वजनिक रोजगार की योजना के अनुरूप, इस न्यायालय को कानून बनाते समय यह अनिवार्य रूप से मानना होगा कि जब तक नियुक्ति प्रासंगिक नियमों के अनुसार और योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के बाद नहीं होती है , तब तक वह नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगा। यदि यह संविदात्मक नियुक्ति है, तो नियुक्ति अनुबंध के अंत में समाप्त हो जाती है, यदि यह दैनिक वेतन या आकस्मिक आधार पर नियुक्ति या नियुक्ति है, तो यह समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी। इसी तरह, एक अस्थायी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर स्थायी होने का दावा नहीं कर सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि एक अस्थायी कर्मचारी या एक आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि से परे कुछ समय के लिए जारी रहता है, वह केवल इस तरह की निरंतरता के आधार पर नियमित सेवा में आमेलित या स्थायी होने का हकदार नहीं होगा , यदि मूल नियुक्ति ** प्रासंगिक नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी। अस्थायी कर्मचारियों के कहने पर नियमित भर्ती को रोकना न्यायालय के लिए खुला नहीं है, जिनकी रोजगार की अवधि समाप्त हो गई है।

अंत या तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, जो अपनी नियुक्ति की प्रकृति के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करने वाले उच्च न्यायालयों को आम तौर पर आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करने चाहिए, जब तक कि भर्ती स्वयं नियमित रूप से और संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं की गई हो।"

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने नियुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव पेश नहीं किए हैं। यदि उन्हें केवल परियोजना कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और वह भी एक्स-कैडर पदों पर, तो इसका यह मतलब कभी नहीं होगा कि उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ताओं को अस्थायी दर्जा दिया गया था या दिया जा सकता था।

10. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि कुछ पीठों ने कुछ हद तक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन हाल ही में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम दयानंद एवं अन्य [(2008) 10 एससीसी 1] के मामले में दिए गए फैसले में कानून को इस प्रकार बताया :

"90. हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि इस विषय पर कई घोषणाओं के बावजूद, न्यायिक अनुशासन के बुनियादी सिद्धांतों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उच्च न्यायालयों के विद्वान एकल न्यायाधीश और पीठ तथ्यों में मामूली अंतर का हवाला देकर समन्वित और यहां तक कि बड़ी पीठों द्वारा निर्धारित फैसले और कानून का पालन करने और उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इसलिए, यह दोहराना आवश्यक हो गया है कि संवैधानिक लोकाचार का अनादर और अनुशासन का उल्लंघन न्यायिक संस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डालता है और आकस्मिक मुकदमेबाजी को बढ़ावा देता है। यह याद रखना चाहिए कि पूर्वानुमान और निश्चितता पिछले छह दशकों में इस देश में विकसित न्यायिक न्यायशास्त्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है और उच्च न्यायपालिका के परस्पर विरोधी निर्णयों की आवृत्ति में वृद्धि से प्रणाली को अपूरणीय क्षति होगी।

क्योंकि जमीनी स्तर पर अदालतें यह तय नहीं कर पाएंगी कि कौन सा निर्णय सही कानून है और किसका पालन किया जाना चाहिए।

91. हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि हमारे संवैधानिक ढांचे में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का सम्मान करे। जिन लोगों को व्यवस्था को संचालित करने तथा राज्य के विभिन्न घटकों को संचालित करने का कार्य सौंपा गया है और जो संविधान के अनुसार कार्य करने तथा उसे बनाए रखने की शपथ लेते हैं, उन्हें संवैधानिक आदर्शों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इस सिद्धांत का न्यायिक बिरादरी के सदस्यों द्वारा अधिक कठोरता से पालन किया जाना अपेक्षित है , जिन्हें महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेने तथा व्यक्तियों तथा समग्र रूप से समाज के अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक प्रणाली के प्रभावी तथा कुशल संचालन के लिए अनुशासन अनिवार्य है। यदि न्यायालय दूसरों को संविधान के प्रावधानों तथा विधि के शासन के अनुसार कार्य करने का आदेश देते हैं, तो उन लोगों द्वारा संवैधानिक सिद्धांत के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें कानून बनाने की आवश्यकता है।"

11. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारी राय में, भारत संघ बनाम मोती लाई [(1996) 7 एससीसी 481] में इस न्यायालय का निर्णय लागू होगा जिसमें पदोन्नति योग्य पद पर नियमितीकरण को कानून में अनुचित माना गया है, जिसमें कहा गया है:

"9. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों तथा रेलवे प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेशों की जांच करने के पश्चात हमारा विचार है कि किसी व्यक्ति को सीधे मेट के रूप में नियुक्त करना स्वीकार्य नहीं है तथा यह केवल गैंगमैन और कीमैन के चतुर्थ श्रेणी के पद से पदोन्नति वाला पद है । इन गैंगमैन और कीमैन को तृतीय श्रेणी में मेट के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, बशर्ते कि ट्रेड टेस्ट के माध्यम से उनकी उपयुक्तता और दक्षता का परीक्षण किया गया हो।

है कि इन प्रतिवादियों को कुछ परिस्थितियों में सीधे तौर पर आकस्मिक साथी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे इस पद पर बने रहे और इसके अलावा उनके बने रहने के कारण उन्हें अस्थायी दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन यह अपने आप में उन्हें साथी के रूप में नियमित किए जाने का अधिकार नहीं देता , क्योंकि यह लागू नियमों के विपरीत होगा। हमारी सुविचारित राय में प्रतिवादियों को काफी समय तक आकस्मिक साथी के रूप में बने रहने मात्र से साथी के रूप में नियमित किए जाने का अधिकार नहीं मिला ।"

12. उपर्युक्त कारणों से अपील में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं।

के.के.टी. अपील खारिज

<u>यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>